न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–....130..... / 2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2021 / ...189...

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा. लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 2–डी एफ एल टॉवर गोपीनाथ मार्ग एम.आई.रोड, जयपुर 302001 में स्थित व कार्यरत है।		1. रतन लाल शर्मा पुत्र चम्पालाल शर्मा 2. दिनेश शर्मा पुत्र श्री रतन लाल शर्मा 3. पुष्पादेवी पत्नि श्री रतन लाल शर्मा 4. प्रहलाद राम पुत्र श्री नानूराम समस्त निवासीगण– 297, लाहडों की ढ़ाणी, बिखरनियां कलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर राजस्थान

आदेश दिनांकः 13-12-2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये **8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.10.2019** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – रतन लाल शर्मा पुत्र श्री चम्पा लाल शर्मा मालिक सम्पति प्लॉट पट्टा नम्बर 4724, ग्राम बिखरनिया कलां, तहसील डेगाना, नागौर, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 168.77 वर्ग गज है, जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– पूर्व में– भंवर लाल की भूमि, पश्चिम में– दूलीचंद की भूमि, उत्तर में–ओमप्रकाश की भूमि, दक्षिण में–गुवाडी, रास्ता व गेट,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 05.04.2021 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 20,51,753/–(अक्षरे बीस लाख इक्यावन हजार सात सौ तिरेपन रूपये मात्र) दिनांक 12.08.2021 तक शेष व दिनांक 12.08.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक **11.09.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न बधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

रूपये 20,51,753/–(अक्षरे बीस लाख इक्यावन हजार सात सौ तिरेपन रूपये मात्र) दिनांक 12.08.2021 तक शेष व दिनांक 12.08.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **रतन लाल शर्मा पुत्र श्री चम्पा लाल शर्मा मालिक सम्पति प्लॉट पट्टा नम्बर 4724, ग्राम बिखरनिया कलां, तहसील डेगाना, नागौर, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 168.77 वर्ग गज है, जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– पूर्व में– भंवर लाल की भूमि, पश्चिम में– दूलीचंद की भूमि, उत्तर में–ओमप्रकाश की भूमि, दक्षिण में–गुवाडी, रास्ता व गेट**, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.10.2019** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सके या जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)ऐसा आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति – रतन लाल शर्मा पुत्र श्री चम्पा लाल शर्मा मालिक सम्पति प्लॉट पट्टा नम्बर 4724, ग्राम बिखरनिया कलां, तहसील डेगाना, नागौर, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 168.77 वर्ग गज है, जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– पूर्व में– भंवर लाल की भूमि, पश्चिम में– दूलीचंद की भूमि, उत्तर में–ओमप्रकाश की भूमि, दक्षिण में–गुवाडी, रास्ता व गेट,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हों तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:58 IST
Reason: SelfAttested